न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0 — प्रथम पक्ष – मनोज कुमार साहु .... ।

बनाम

वाद सं0 117 / 2022 — द्वितीय पक्ष – महेश साहु ..... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
12/5/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 47 / 2022 दिनांक 17 / 08 / 2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) मनोज कुमार साहु उम्र 42 वर्ष पिता स्व0 शंकर साहु ग्राम डहुडांड थाना पालकोट, जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) महेश साहु उम्र 45 वर्ष (2) बालगोबिंद साहु उम्र 59 वर्ष पति महेश साहु ग्राम 45 वर्ष (3) पुरन साहु उम्र 56 वर्ष तीनों ग्राम स्व0 चंदर साहु (4) गीता देवी उम्र 40 वर्ष पित ामहेशसाहु ग्राम डहुडांड थाना पालकोट जिला गुमला के बीच मौजा नाथपुर के खाता सं0 309, प्लॉट सं0 566 रकबा 0.42 एकड़ जमीन को लेकर लडाई झगडा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । (मुहर: अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.08.21 14:20:30 +05:30
Location: 192.168.1.6